मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनांक:	निर्णय दिनांक:	अवधि:
30/04/15	22/07/20	5 वर्ष, 2 माह, 22 दिन

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.
एम.ए.सी.पी. संख्या– 124/2015

1. श्रीमती गुड्डी पत्नी स्व. श्री कल्याण सिंह उर्फ गजराज सिंह उम्र 40 वर्ष (मृतक की पत्नी)

2. गंगाराम पुत्र स्व. श्री कल्याण सिंह उर्फ गजराज सिंह उम्र 22 वर्ष (मृतक का पुत्र),

3. अवधेश नरेश नाबा. पुत्र स्व. श्री कल्याण सिंह उर्फ गजराज सिंह उम्र 14 वर्ष (मृतक का पुत्र) नाबा. याची सं. 3 बजरिये संरक्षिका मां याचिया संख्या 1 श्रीमती गुड्डी,
निवासीगण ग्राम सिजारी थाना लहचूरा जिला झाँसी, (उ. प्र.)

--------याचीगण

बनाम

1. नितिन अग्रवाल पुत्र श्री नरेशचन्द्र अग्रवाल निवासी– एस. एन. सन दर्शन बिल्डिंग के सामने कल्यान पैट्रोल पम्प के पास पन्ना नाका सतना, जिला सतना, (म. प्र.)

..........पंजीकृत स्वामी ट्रक सं. एम. पी. 19 एच ए 2616

2. बालेन्द्र प्रसाद मिश्रा तनय राम शिरोमणि मिश्रा निवासी रामपुर बघेलान थाना रामपुर बघेलान जिला सतना, (म. प्र.)

..............चालक ट्रक संख्या एम. पी. 19 एच ए 2616

3. दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि० मण्डलीय कार्यालय राजपूत होटल के पास रींवा रोड सतना, (म. प्र.) – 485001 बजरिये मण्डलीय प्रबन्धक कचहरी चौराहा सिविल लाइन, झाँसी, (उ. प्र.)

............बीमाकर्ता ट्रक संख्या एम. पी. 19 एच ए 2616

4. राजेन्द्र कुमार राय पुत्र श्री बाबूलाल राय निवासी ग्राम भिटौरा थाना सकरार जिला झाँसी, (उ. प्र.)

........पंजीकृत स्वामी बस नम्बर एम. पी. 50 पी 0441

5. यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. बजरिये मण्डलीय प्रबन्धक पहूज नदी के पास शिवपुरी रोड नन्दनपुरा, झाँसी जिला झाँसी, (उ. प्र.)

...........बीमाकर्ता बस संख्या – एम. पी. 50 पी 0441

-------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता– श्री एन. एल. पांचाल
विपक्षीगण सं. 3 के अधिवक्ता– श्री एस. सी. गुप्ता
विपक्षीगण सं. 4 के अधिवक्ता– श्री संजीव कुमार भार्गव
विपक्षीगण सं. 5 के अधिवक्ता– श्री हरिश्चन्द्र सिंह

निर्णय

प्रस्तुत याचिका मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 एवं 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना मे श्री कल्याण सिंह की मृत्यु पर क्षतिपूर्ति रु. 23,30,000/– हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि मृतक श्री कल्याण सिंह उर्फ गजराज सिंह पुत्र श्री करन सिंह निवासी ग्राम सिजारी थाना लहचूरा जिला झाँसी, उ.प्र. आयु 40 वर्ष, दिनॉक 30.04.2012 को बस संख्या एम. पी. 50 पी 0441 को चलाकर झाँसी से लहचूरा जा रहा था और समय करीब 4.00 बजे शाम जैसे ही वह निवाड़ी तिगैला के पहले दुर्जन अहिरवार के घर के सामने पहुंचा तभी तिगैला की ओर से एक ट्रक नं. एम. पी. 19 एच ए 2616 के चालक ने ट्रक को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर बस में भीषण टक्कर मार दी जिससे उसको गम्भीर चोटें आयीं जिसके कारण शारीरिक व व्यापारिक कार्य क्षमता में

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.07.22 01:32:02 IST
Reason: Document Owner
Location: MOTOR ACCIDENT CLAIM TRIBUNAL JHANSI

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.08.10 17:33:17 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

विपरीत प्रभाव पड़ा और इसी प्रभाव के कारण उसकी मृत्यु दौरान इलाज व दौरान मुकदमा दिनॉक 12.01.2012 को घर पर ही हो गयी। दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के कारण पूर्व में न्यायाधिकरण में क्लेम संख्या 403 सन 2013 पर याचिका प्रस्तुत की गई थी। याचिका में कार्रवाई जारी रहने के दौरान श्री कल्याण सिंह की मृत्यु हो गई जिसकी सूचना न्यायाधिकरण को दी गई, जिस पर न्यायाधिकरण द्वारा नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति याचीगणों को प्राप्त हुई थी। प्रस्तुत याचिका के अतिरिक्त याची गण द्वारा अन्य कोई याचिका याचीगण द्वारा भारतवर्ष के किसी भी सक्षम अदालत में प्रस्तुत नहीं की गयी है।

3. विपक्षी सं. 3 बीमाकर्ता ट्रक संख्या एम.पी. 19 एच ए 2616 न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा अपने जवाबदावे प्रपत्र सं. 29 B मे याचिका के तथ्यों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह अभिकथन किये गये हैं कि "हेड– ऑन कोलूजन" हुआ है अतः यह "कान्ट्रीब्यूटरी निगलेजेन्सी" का केस है। इस प्रकरण में पूर्व में भी एक याचिका संख्या 403/2013 प्रस्तुत की गयी थी, जो खारिज हो चुकी है। यह भी अभिकथन किया गया है, कि मृतक स्वयं 'टार्ट फीजर' है। पेटीशनर ने दावा हाजा में ट्रक नंबर एम. पी. 19 एच ए 2616 की बीमा पॉलिसी का पूर्ण विवरण व उसकी अवधि वह जारी करने वाली शाखा का नाम अंकित नहीं किया है। उक्त ट्रक का बीमा मिन प्रतिवादी की बीमा कंपनी से नहीं था। ट्रक मालिक ने ट्रक चालक का डी एल पेश नहीं किया है और कथित घटना के समय ट्रक अनधिकृत व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था जो वैध डी एल धारी नहीं था। बीमा कंपनी का दायित्व तभी बनता है जब बीमा संविदा के सभी शर्तों का पालन किया गया हो।

4. विपक्षी संख्या 4 बस स्वामी की ओर से अपने जवाबदावे प्रपत्र सं. 36 B मे याचिका के तथ्यों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह अभिकथन किये गये हैं कि यह दुर्घटना एकमात्र ट्रक चालक की तेजी व लापरवाही के कारण घटित हुई थी। बस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर 11586 दिनॉक 22/11/2000 को जारी किया गया था जो बस चलाने के लिए दुर्घटना दिनाक को वैध एवं प्रभावी था तथा बस उक्त विपक्षी संख्या 5 के यहां बीमित थी जिसकी बीमा पॉलिसी नंबर 190903/31/11/01/000036 दिनॉक 27/10/12 तक वैध एवं प्रभावी थी। आर. सी. इत्यादि कागज वैध थे।

5. विपक्षी सं. 5 बीमाकर्ता बस संख्या एम. पी. 50 पी 0441 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. द्वारा अपने जवाबदावे प्रपत्र सं. 39 B मे याचिका के तथ्यों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह अभिकथन किये गये हैं कि याचीगण ने अपनी याचिका के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट, नक्शा नजरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। बीमा कंपनी की जिम्मेदारी विवादित वाहन की बीमा पॉलिसी में दिए गए प्रावधानों व शर्तों के अनुसार ही बीमा धारी वाहन के प्रति आयद होती है अन्यथा नहीं।

6. विपक्षी संख्या एक व दो पर तामीला पर्याप्त पाए जाने के बावजूद उनकी न्यायाधिकरण के समक्ष अनुपस्थिति के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई एक पक्षीय जारी रखने के आदेश करते हुए शेष पक्षकारों के अभिवचनो के आधार पर दिनॉक 22.1.2016 को निम्नलिखित वाद बिंदु विरचित किए गए:

1– क्या दिनॉक 30.4.2012 को समय 4:00 बजे शाम स्थान निवाड़ी–झाँसी रोड, निवाड़ी तिगेला के पहले दुर्जन अहिरवार के मकान के सामने ट्रक संख्या एम. पी. 19 एच ए 2616 के चालक ने उक्त ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर मृतक की बस संख्या एम. पी. 50 पी 0441 में टक्कर मार दी, जिससे याची को गंभीर चोटे आई व दौरान इलाज व दौरान मुकदमा उसकी मृत्यु हो गई?

2– क्या यह दुर्घटना बस संख्या एम. पी. 50 पी 0441 के चालक की योगदाई उपेक्षा से हुई है?

3– क्या दुर्घटना के दिनॉक वह समय पर ट्रक संख्या एम. पी. 19 एच ए 2616 विपक्षी संख्या 3 द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमित था?
4– क्या दुर्घटना के दिनाक वह समय पर ट्रक संख्या एम. पी. 19 एच ए 2616 के चालक के पास उक्त ट्रक को चलाने का वैध एवं प्रभावी लाइसेंस था?
5– क्या दुर्घटना के दिनाक व समय पर बस संख्या एम. पी. 50 पी 0441 विपक्षी संख्या 5 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमित थी?
6– क्या दुर्घटना के दिनाक व समय पर बस संख्या एम. पी. 50 पी 0441 के चालक के पास उक्त बस को चलाने का वैध एवं प्रभावी लाइसेंस था?
7– क्या याची गण कोई प्रति कदम राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हॉ , तो किस विपक्षी से व कितनी?

7. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:

याची की ओर से–

अभिलेखीय साक्ष्यः

1– तलबीदा पत्रावली एम.ए.सी.पी. संख्या– 403/2013;
2– फेहरिस्त सबूत प्रपत्र सं. 77C2 के माध्यम से शपथ से समर्थित इलाज खर्चा–पर्चा सहित अनेंक प्रपत्र संख्या कुल– 97;
3– फेहरिस्त सबूत प्रपत्र सं. 79C1 के माध्यम से एम.ए.सी.पी. संख्या– 403/2013 के अनेंक प्रपत्रों की सत्य प्रतिलिपियॉ संख्या कुल– 25;
4– फेहरिस्त सबूत प्रपत्र सं. 7C1 के माध्यम से एफ. आई. आर., मृतक की इंजरी रिपोर्ट, मृतक की डिस्चार्ज स्लिप, मृतक का डी. एल., ट्रक संख्या एमपी 19 एच ए 2616 की आर. सी., बीमा पॉलिसी, माल यान रजि. परमिट, परमिट, फिटनेस, चालक का डी. एल.; बस संख्या एम. पी. 50 पी 0441 आर. सी., बीमा पॉलिसी, परमिट, अति. टैक्स प्रमाण पत्र, फिटनेस मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रतियॉ संख्या कुल–21;
5– फेहरिस्त सबूत प्रपत्र सं. 50C1 के माध्यम से मृतक की मृत्यु के कारण पर ग्रामवासियों व ग्रामप्रधान की राय;

मौखिक साक्ष्यः

6– PW1 श्रीमती गुडडी (मृतक की पत्नी), PW2 श्री बृजेन्द्र राजपूत (यात्री बस), PW3 श्री मान सिंह (मृतक के ग्राम का निवासी)

विपक्षी सं. 3 की ओर से–

अभिलेखीय साक्ष्यः

7– फेहरिस्त सबूत प्रपत्र सं. 60C1 के माध्यम से अन्वेषक आख्या व नेट से प्राप्त ट्रक चालक का डी. एल.;

मौखिक साक्ष्यः

8– DW1 श्री नवीन प्रकाश वर्मा (अन्वेषक) व श्री नीरज नयन नगायच DW1 (DW1A के रूप मे पुन: अंकित) को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है।

8. पत्रावली पर याचीगणों व विपक्षी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस उपलब्ध है। मैंने वर्चुअल अदालत मे उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी, पत्रावली का परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक मूल्यांकन किया।

9. **निस्तारण बाद बिंदु संख्या 1 व 2:**

प्रस्तुत प्रकरण बस तथा ट्रक के आमने–सामने टक्कर की है। यह वाद बिंदु दुर्घटना, दुर्घटना में ट्रक चालक की योगदाई उपेक्षा तथा बस चालक के चोटें आने व मृत्यु हो जाने के संबंध में है। तलबीदा पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटना के संबंध में

पूर्व में योजित दावा याचिका संख्या 403 सन 2013 गुण अवगुण पर निर्णीत नहीं की गई थी, बल्कि याची की मृत्यु के पश्चात मृतक याची के वारिसान को नई दावा याचिका प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ दावा याचिका में कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है कि यह याचिका चलनसार नहीं है। अत: मैं इस निष्कर्ष का हूं की पूर्व याचिका प्रस्तुत याचिका के संबंध में बाधा नहीं बनती है।

10. पत्रावली पर दुर्घटना के संबंध में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट उपलब्ध है। दुर्घटना दिनाक 30.4.12 समय 16:00 बजे शाम की होना दर्ज है तथा रिपोर्ट दर्ज कराने का समय उसी दिन 16:30 बजे का है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंबित नहीं है। पत्रावली पर ट्रक चालक बालेंद्र के विरुद्ध पुलिस का आरोप पत्र उपलब्ध है। ट्रक एम.पी. 19 एच ए 2616 तथा बस संख्या एम.पी. 50 पी 0441 दुर्घटनास्थल पर ही जब्त किए गए हैं जिनके संबंध में पत्रावली पर प्रपत्रों की प्रतिलिपियां दाखिल हैं। दुर्घटना स्थल का नक्शा नजरी पत्रावली पर दाखिल है जिसमें दुर्घटना आमने–सामने की बीच रोड पर दिखाई गई है जो कि निम्न है:

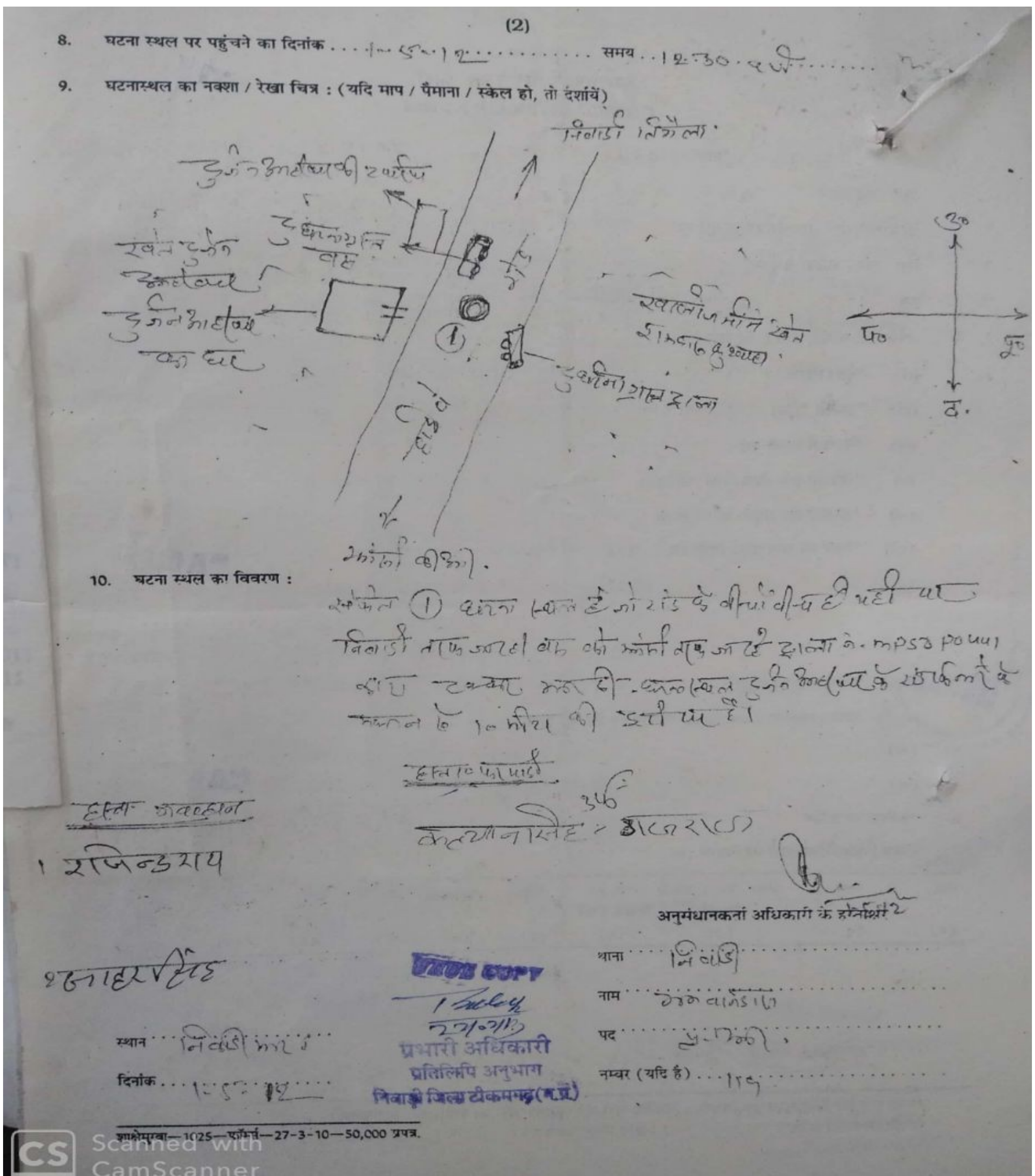
(2)

8. घटना स्थल पर पहुंचने का दिनांक .... समय ....

9. घटनास्थल का नक्शा / रेखा चित्र : (यदि माप / पैमाना / स्केल हो, तो दर्शायें)

10. घटना स्थल का विवरण :

अनुसंधानकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

थाना

नाम

पद

नम्बर (यदि है)

स्थान

दिनांक

प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि अनुभाग
निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

दुर्घटना के बताए गए चतुर्दशी बृजेंद्र राजपूत PW2 ने कथन किया है कि वह ड्राइवर के बगल वाली कंडक्टर सीट पर बैठा था। उसे चोट नही आयी थी। उसके पास बस का टिकट नहीं है। वह ड्राइवर कल्याण सिंह का रिश्तेदार है।इस साक्षी का दुर्घटना स्थल पर बस में मौजूद होने के संबंध में गंभीर संदेह है क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट बस के ड्राइवर द्वारा दर्ज

कराई गई है जिसमें PW2 के बस के अंदर मौजूद होने का कोई जिक्र नहीं है बल्कि सवारी सुमन अहिरवार, आरती अहिरवार, अंकित, मुस्कान के मौके पर होने तथा चोटें आने का जिक्र है। इस साक्षी के प्रति–परीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि पूरे घटनाक्रम यथा बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से थाने जाने व कल्याण सिंह को अस्पताल ले जाने से इंकार किया है। ऐसा संभव नहीं है की कोई व्यक्ति अपने घायल रिश्तेदार को अस्पताल ना ले जाए। मृतक कल्याण सिंह ने भी मृत्यु पूर्व के बयानों में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि यह साक्षी उसके साथ उसकी बस में मौजूद था। अतः मैं इस निष्कर्ष का हूं कि दुर्घटनास्थल पर यह साक्षी मौजूद नहीं था बल्कि अपने रिश्तेदारों के दावे में ट्रक चालक की पूरी गलती साबित करने के लिए रोपित किया गया है।

11. PW1 श्रीमती गुड्डी हालांकि चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है किंतु उसने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि उसके पति ने उसे बताया था कि घटना में पूरी गलती ट्रक चालक की थी। इस प्रकार का साक्ष्य सुने–सुनाये साक्ष्य की श्रेणी का है किंतु चूँकि विपक्षीगण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है जिससे यह साबित होता हो कि दुर्घटना में बस चालक की भी योगदाई उपेक्षा थी और चूँकि मृतक ने मृत्यु से पूर्व के अपने दावे में यह साक्ष्य दिया है कि इस दुर्घटना में ट्रक चालक की पूर्ण लापरवाही थी जिसका समर्थन ट्रक चालक के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र से भी होता है, अतः मैं इस निष्कर्ष का हूं कि यह दुर्घटना केवल ट्रक चालक की तेजी व लापरवाही के कारण हुई जिसमें बस चालक की कोई योगदाई उपेक्षा नहीं थी।

12. अब अगला प्रश्न यह है कि क्या मृतक की मृत्यु इस दुर्घटना मे आई चोटों के कारण हुई है या अन्यथा हुई है। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि मृतक की मृत्यु दिनांक 12.01.2015 को हुई है जबकि दुर्घटना इससे बहुत पूर्व दिनांक 30.04.2012 को होना बताया गया है। दुर्घटना के लगभग ढाई वर्ष बाद हुई मृत्यु को दुर्घटना से नहीं जोड़ा जा सकता है। मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है जिससे यह स्थापित नहीं होता कि मृतक की मृत्यु का कारण क्या था।

13. प्रस्तुत प्रकरण में याची की ओर से PW3 मानसिंह को परिक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने कथन किया है कि वह कल्याण सिंह को जानता है। वह उसके गांव के थे। कल्याण सिंह की दौरान इलाज 12.1.2015 को घर पर मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना 2012 में हुई थी। उन्हीं चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। वह उनके गांव का होने के नाते जानकारी के आधार पर सही व सच कह रहा है। कागज सं. 51C1 पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा अन्य गांव वालों के तथा ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर हैं जो सही व सच है। कल्याण सिंह बस चलाते थे। दुर्घटना के कारण वह चल फिर नहीं पाते थे और नहीं बस चला पाते थे। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से की गई प्रति–परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मृतक कल्याण का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। उसने सुना था कि कल्याण सिंह की दुर्घटना में आई चोटों से मृत्यु हुई थी इसलिए वह गवाही देने आया है। कागज संख्या 51C उसने बनवाया है। गुड्डी आर्थिक रूप से बहुत परेशान है इसलिए सद्भावना में उसे प्रमाण पत्र दिया था कि उसे इस मुकदमे में अधिक प्रतिकर प्राप्त हो जाए जिससे उसके घर का खर्च चल सके। कल्याण सिंह के जीवित रहते घायल घायल अवस्था में उसके घर पर वह चार पांच बार मिला था। इस साक्षी की प्रति–परीक्षा से अन्य कोई ऐसा तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है जिससे यह माना जा सके कि यह साक्षी याचीगण को अवैध रूप से मात्र आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए ही साक्ष्य देने आया है। चूंकि यह साक्षी घायल अवस्था में कल्याण सिंह से चार पांच बार मिला है और घायल अवस्था में बीमार रहते हुए ही उसकी मृत्यु हुई है तो उसका यह कथन स्वाभाविक है कि कल्याण सिंह की मृत्यु दुर्घटना में आई चोटों के कारण हुई है। इसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर बताने जैसी बात प्रतीत नहीं होती है। प्रपत्र संख्या 51C1 के अनुसार गांव के प्रधान सहित 10 लोगों का भी यह मानना है कि मृतक की मृत्यु दुर्घटना में आई चोटों के कारण हुई थी। ग्रामीण परिवेश में पोस्टमार्टम कराए जाने की ओर अधिक

ध्यान नहीं दिया जाता है उसे यह ज्ञात नहीं होता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट होने पर ही मृत्यु के संबंध में क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सकेगी। यहां तक कि मोटर वाहन दुर्घटना मे मृत्यु होने पर ग्रामीण परिवेश में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अक्सर विलंब से ही लिखाई जाती है और वह भी तब जब कोई सलाह दें। इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटना तथा कल्याण सिंह की मृत्यु के बीच कार्य कारण संबंध है।

14. इस संबंध में विपक्षी संख्या 3 की ओर से अन्वेषक नवीन प्रकाश वर्मा DW1 को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है जिन्होंने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि उसने दौरान जांच पाया की यह दुर्घटना बस व ट्रक के बीच सड़क पर आमने सामने से टकराने के कारण हुई थी। दुर्घटना दिनांक 30.04.2012 की है जबकि बस चालक कल्याण सिंह की मृत्यु 12.01.2015 को होना ज्ञात हुई थी। यह मृत्यु दुर्घटना में आई चोटों के कारण होना नहीं पाई गई थी। चालक कल्याण सिंह की मृत्यु स्वाभाविक हुई है। दिनांक 11.05.2012 जब कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज हुए थे, के बाद के कोई भी इलाज के कागज उसके समक्ष पेश नहीं किए गए और न ही उस अवधि में हुए इलाज के बाबत बताया था। याचिया व याची के पुत्र आर्थिक रूप से मृतक पर आश्रित होना नहीं पाए गए। याचिया व याची के पुत्र आर्थिक रूप से यदि मृतक पर आश्रित होना नहीं पाए गए थे तो उनकी आय का श्रोत क्या था यह बात अन्वेषक ने नही बतायी है। जिससे अन्वेषक की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न होता है। ग्रामीण परिवेश में सामान्यता एक बस चालक की पत्नी अपने पति की आय पर ही निर्भर मानी जाएगी। अन्वेषक की यह बात भी विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होती है कि 40–45 वर्ष की आयु में किसी व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज होने के बाद के इलाज के प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल किए गए हैं तो अन्वेषक की यह बात भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती कि अन्वेषक के मांगने पर उनके समक्ष याचीगणों ने इलाज के वह प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए होंगे। अन्वेषक बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनकी फीस भी बीमा कंपनी अदा करती है। इन परिस्थितियों में अन्वेषक की मुख्य परीक्षा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना सुरक्षित नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज होने के बाद के इलाज के प्रपत्र जब पत्रावली पर दाखिल किए जा चुके थे तो बीमा कंपनी उनका सत्यापन करा सकती थी किंतु बीमा कंपनी ने ऐसा नहीं किया है। यह बात बीमा कंपनी के विरुद्ध और याची के पक्ष में जाती है। अब देखना यह है कि क्या इलाज के प्रपत्रों से दुर्घटना तथा मृत्यु के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित हो पाता है या नहीं। कल्याण सिंह के इलाज का इतिहास निम्न प्रकार है–

दिनांक	अस्पताल	पैथालाजी/ परीक्षण	निदान	प्रपत्र संख्या
01.05.2012 से 11.05.2012	म. ल. मेडिकल कालेज झाँसी	दाहिने पैर के टिबिया व पटेला मे फ्रेक्चर	आपरेशन/ टिबिया मे स्क्रू व रॉड/JESS/दवायें	66C1/1 से 66C1/11
22.05.2012 से 20.06.2012	म. ल. मेडिकल कालेज झाँसी	टांके मे संक्रमण	घाव की सफाई/ घाव को बन्द करना/दवायें	67C1/1 से 67C1/10
10.07.2012	म. ल. मेडिकल कालेज झाँसी		उपचार जारी	60C1/4
19.07.2012	म. ल. मेडिकल कालेज झाँसी		उपचार जारी	
08.05.2013	बाला जी	इ.एस.आर.	दवायें	60C1/12 से

	हास्पिटल झाँसी	हाई/दाहिने पैर के पटेला की तरफ **क्रानिक आस्टियोमिलाइटिस**/मल्टीपल डिसचार्जिंग साइनसस		60C1/13
12.06.2013	डॉ. डी. के. जैन ग्वालियर	पटेला की तरफ **क्रानिक आस्टियोमिलाइटिस/हिपेटाईटिस बी**	दवायें	60C1/6 से 60C1/7 व 60C1/16
28.03.2014	आनंद डेंटल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मऊरानीपुर झांसी	मुंह में छाले	दवायें	60C1/3

क्रानिक आस्टियोमिलाइटिस ऐसी जानलेवा बीमारी है जो सामान्यतः हड्डी भ्रंश में संक्रमण के पश्चात उत्पन्न होती है। हेपिटाइटिस बी भी घातक बीमारी है जिसका संक्रमण सामान्यतः मरीज को संक्रमित रक्त चढ़ाने से या ऑपरेशन के दौरान हो सकता है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि मेडिकल कॉलेज झांसी में इलाज के दौरान कल्याण सिंह को न तो ओस्टियोमाइलाइटिस और ना ही हेपेटाइटिस बी पाई गई है। इसका अर्थ यह प्राप्त होता है कि दुर्घटना में आई चोटों का समुचित इलाज ना हो पाने के कारण कल्याण सिंह को जानलेवा बीमारी हो गई। बस चालक श्रेणी के ऐसे व्यक्ति जो बस चालन का कार्य नहीं कर पा रहा है तथा आमदनी बंद हो चुकी है का इन दोनों बीमारियों का इलाज करा पाने की क्षमता अवश्य समाप्त हो जाएगी। हालांकि कल्याण सिंह ने अपने इलाज का प्रयास ग्वालियर तक जाकर किया लेकिन संभवत आगे का इलाज आमदनी न होने के कारण बंद हो गया क्योंकि पत्रावली पर ग्वालियर में इलाज के बाद के कोई प्रपत्र दाखिल नहीं हैं।

15. PW1 श्रीमती गुड्डी ने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि उसके पति के दुर्घटना में दाएं साइड के घुटने में कई फ्रैक्चर हुए थे एवं पैर पतला टेढ़ा पड़ गया था तथा दाएं घुटने के ऊपर गंभीर चोटें आई थी। सिर व सीना में गंभीर चोटें आई थी और सिर में चोट की वजह से चेहरे में पानी भर गया था और दुर्घटना में आई चोटों की वजह से मुंह में छोटे–छोटे कांच के टुकड़े निकले थे और मुंह में फोड़ा हो गया था इसी वजह से शरीर में भी प्रभाव पड़ा था दुर्घटना में आई चोटों की वजह से विपरीत प्रभाव पड़ा और दौरान इलाज और दौरान मुकदमा उसके पति की मृत्यु घर पर ही हो गई क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया था। इस साक्षी की प्रति परीक्षा से ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है जिससे इस बिंदु पर इस साक्षी की विश्वसनीयता संदेहप्रद हो। इस प्रकार PW1, PW3, उपरोक्त तालिका में दिनांक 08.05.2013 व 12.06.2013 के इलाज के प्रपत्र व प्रपत्र संख्या 51C से यह साबित होता है कि कल्याण सिंह की मृत्यु दुर्घटना में आई चोटों के कारण उत्पन्न बीमारी से हुई है। यह दुर्घटना का दूरस्थ परिणाम नहीं है बल्कि दुर्घटना से सीधे संबंधित है अर्थात यदि कल्याण सिंह को दुर्घटना में चोटें नहीं आई होती तो कल्याण सिंह की मृत्यु नहीं हुई होती। कल्याण सिंह की दुर्घटना से अन्यथा या स्वाभाविक मृत्यु होने या उपचार के बाद स्वस्थ हो जाने के संबंध में कोई साक्ष्य विपक्षीगण की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है। **Archit Saini & ors. vs. The Oriental Insurance Co. Ltd. & ors. (09.02.2018 –**

SC): MANU / SC / 0105/2018 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि *मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले में दावेदारों को मामले मे इतनी यात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी एक आपराधिक मुकदमे में। न्यायालय को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। एक विशेष बस द्वारा एक विशेष ढ़ंग से दुर्घटना कारित किए जाने को सख्त सबूत द्वारा साबित किया जाना दावेदारों के लिए संभव नहीं है। दावेदारों को केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था। उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक नहीं हो सकता था।* पत्रावली पर उपलब्ध उक्त संपूर्ण साक्ष्य के प्ररिशीलन के पश्चात में इस निष्कर्ष का हूॅ कि याची गण वाद बिंदु संख्या 1 व 2 को साबित करने मे इस प्रकार सफल रहे हैं कि दिनॉक 30.4.2012 को समय 4:00 बजे शाम स्थान निवाड़ी–झाँसी रोड, निवाड़ी तिगेला के पहले दुर्जन अहिरवार के मकान के सामने ट्रक संख्या एम. पी. 19 एच ए 2616 के चालक ने उक्त ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर मृतक की बस संख्या एम. पी. 50 पी 0441 में टक्कर मार दी, जिससे याची को गंभीर चोटे आई व दौरान इलाज व दौरान मुकदमा उसकी मृत्यु हो गई और इस दुर्घटना में बस चालक कल्याण सिंह की कोई योग दाई उपेक्षा नहीं थी।

16. निस्तारण बाद बिंदु संख्या 3:

याची की ओर से ट्रक के बीमा के संबंध में प्रपत्र सं. 13C1 छाया प्रति कमर्शियल व्हीकल पैकेज पॉलिसी बीमा कर्ता द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रस्तुत की गई है जिसमे चेचिस नंबर 07702 तथा इंजन नंबर 65242319 का ट्रक दिनांक 29.03.2012 से 28.03.2013 तक बीमित है किंतु ट्रक संख्या एम. पी. 19 एच ए 2616 की आर. सी. मे चेचिस नंबर 07702 तथा इंजन नंबर 65242319 के बजाए अन्य नंबर अंकित हैं अतः यह साबित नही है कि ट्रक संख्या एम. पी. 19 एच ए 2616 दुर्घटना के दिन बीमित था।

17. निस्तारण बाद बिंदु संख्या 4:

ट्रक संख्या एम. पी. 19 एच ए 2616 के चालक बालेन्द्र प्रसाद मिश्रा तनय राम शिरोमणि मिश्रा निवासी रामपुर बघेलान थाना रामपुर बघेलान जिला सतना, (म. प्र.) के विरुद्ध पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। याची की ओर से बालेन्द्र प्रसाद के डी. एल. की छाया प्रति प्रपत्र सं. 16C1 प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार बालेंद्र प्रसाद ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए दिनांक 11.4.2012 से 10.4.2015 तक अनुज्ञप्त है। किंतु DW1 साक्ष्य दिया है कि उन्होंने डी.एल. की इंटरनेट पर जांच की तो बालेंद्र प्रसाद का डी. एल. पंजीयन अधिकारी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं पाया गय। वाहन स्वामी या चालक की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि विपक्षी संख्या 2 के पास दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन चलाने की वैध व प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति थी। अतः दुर्घटना के दिनांक 30.4.2012 को चालक बालेंद्र प्रसाद विपक्षी संख्या दो के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति थी यह साबित नही है।

18. निस्तारण बाद बिंदु संख्या 5:

बस संख्या एम. पी. 50 पी 0441 के बीमा के संबंध में पत्रावली पर प्रपत्र संख्या 18C1 उपलब्ध है जिसके अनुसार बस संख्या एम. पी. 50 पी 0441 दिनाँक 28.02.2012 से 27.02.2013 तक विपक्षी संख्या 5 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमित है।

19. निस्तारण बाद बिंदु संख्या 6:

बस संख्या एम. पी. 50 पी 0441 के चालक के पास उक्त बस को चलाने का वैध एवं प्रभावी लाइसेंस के संबंध मे पत्रावली पर प्रपत्र संख्या 11C1 प्रस्तुत किया गया है जिसमें ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने का पृष्ठांकन दिनांक 17.5.2008 से 16.05.2011 तक ही है। इसके पश्चात का ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने का कोई पृष्ठांकन इस प्रपत्र पर पर उपलब्ध नहीं है। अतः यह साबित नहीं होता है कि दुर्घटना के दिनांक को बस चालक के पास वैध एवं प्रभावी चालन चालन अनुज्ञप्ति थी।

20. <u>निस्तारण बाद बिंदु संख्या 7:</u>

वाद बिंदु संख्या एक व दो के निस्तारण के दौरान यह निष्कर्ष प्राप्त किया जा चुका है कि दिनांक 30.4.2012 को घटी वाहन दुर्घटना में बस चालक कल्याण सिंह को गंभीर चोटें आईं तथा इन्हीं चोटों के कारण दौरान मुकदमा कल्याण सिंह की मृत्यु हो गई। यह भी निष्कर्ष प्राप्त किया जा चुका है कि इस दुर्घटना में बस चालक कल्याण सिंह की कोई योग दाई उपेक्षा नहीं थी। वाद बिंदु संख्या तीन व चार के निस्तारण के दौरान यह निष्कर्ष प्राप्त किया जा चुका है कि टक्कर मारने वाले ट्रक का बीमा साबित नहीं हो सका है व ट्रक के चालक के पास चालक अनुज्ञप्ति नहीं थी अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व ट्रक के स्वामी व ट्रक के चालक क्रमशः विपक्षी संख्या एक व दो का संयुक्त व प्रथक प्रथक रूप से है। अब प्रश्न यह है कि क्षतिपूर्ति की धनराशि क्या होनी चाहिए?

21. विधि व्यवस्था **Kajal vs. Jagdish Chand and Ors. (05.02.2020 – SC) : MANU/SC/0126/2020** मे माननीय उच्चतम न्याालय ने कहा है कि *व्यक्तिगत चोट के मामलों में क्षति का आकलन बड़ी कठिनाइयों को जन्म देता है। शारीरिक और मानसिक नुकसान को मौद्रिक शब्दों में बदलना आसान नहीं है। गणना किए गए अनुमान का एक माप होना चाहिए। एक आकलन, परिस्थितियों में जितना हो सके, सबसे अच्छा होना चाहिए।* विधि व्यवस्था **Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03.2008 – SC) : MANU/SC/ 7368/ 2008** मे माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था **Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018 — ALLHC) : MANU/UP/2954/2018** मे माननीय उच्च न्याालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹ 200/- प्रतिदिन की मजदूरी उचित मानी है। **Sunita Tokas and Ors. vs. New India Insurance Co. Ltd. and Ors (16.08.2019 – SC) : MANU/SC/1105/2019** मे माननीय उच्चतम न्याालय ने कुशल मजदूर के लिए ₹400 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। यह दुर्घटना 8 वर्ष पूर्व की है। PW1 ने उस समय मृतक की आय ₹6000 प्रतिमाह बताई है। 8 वर्ष पूर्व कुशल मजदूर की भी नोशनल आय ₹200 प्रतिदिन से कम की नहीं होती। अतः बस चालक के रूप में ₹ 6000 प्रतिमाह अर्थात ₹200 प्रतिदिन कि आय साबित होती है। यह बढ़ा चढ़ाकर बताई गई आय प्रतीत नहीं होती है। ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि कल्याण सिंह की बताई गई आय ₹6000 से कम की थी। पी.डब्लू. 1 ने मृतक की आयु 40 वर्ष बतायी है। किंतु चूँकि चिकित्सीय प्रपत्रों में कल्याण सिंह की आयु कहीं 40 वर्ष, कहीं 45 वर्ष, कहीं 48 वर्ष तो कहीं 50 वर्ष अंकित है। इन परिस्थितियों में मृतक की आयु 45 वर्ष निर्धारित की जाती है। विधि व्यवस्था **National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 – SC): M ANU/SC/1366/2017** के अनुसार 14 का गुणक, प्रयोज्य है। 40-50 वर्ष आयु वर्ग के लिए 25 % भविष्य मे प्रत्याशा की वृद्धि, 3 ब्यक्तियों की निर्भरता पर स्वयं के खर्च मे 1/3 भाग की कटौती, संपदा की क्षति के लिए ₹ 15,000/- तथा दाह संस्कार के लिए ₹ 15,000/- निर्धारित किये जाते हैं। साक्षी नीरज नयन नगायच DW1 (DW1A के रूप मे पुन: अंकित) ने उपचार पर खर्च के 55 किता बिलों के रुपए 26328 के एवज में 26 किता बिल सत्यापित किए हैं जिनकी धनराशि 19173 रुपए बताई है। शेष बिल यह कहते हुए नकार दिए गए हैं कि वह कल्याण सिंह के नाम पर नही हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि कल्याण सिंह घायल अवस्था में अपना इलाज करवा रहे थे। उनके अटेंडेंट ने ही दवाईयं खरीदी होंगी व बिलों का भुगतान किया होगा। अनेंक बिलों पर मरीज का कोई नाम नहीं लिखा गया है। यह त्रुटि मेडिकल स्टोर वाले की है। अधिकतर दवाएं सुमन मेडिकल स्टोर की हैं जो इलाज के क्रम में ही हैं। अतः मैं ₹26328 के बिलों की धनराशि को उचित पाता हूं।

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	275	30	12	99000 ~~215079~~
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			25	24750 ~~53769.75~~
स्वयं पर खर्च (भाग में)			3	41250 ~~89616.25~~
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				82500 ~~179232.5~~
गुणक			14	1155000 ~~2509255~~
वैवाहिक साहचर्य की क्षति			40000	1195000 ~~2549255~~
संपदा की क्षति			15000	1210000 ~~2564255~~
अंतिम संस्कार पर खर्च			15000	1225000 ~~2579255~~
उपचार पर खर्च			26238	1251238 ~~2605493~~
ट्रक चालक की योगदाई उपेक्षा % मे			100	1251238 ~~2605493~~
बस चालक की योगदाई उपेक्षा % मे			0	0
कुल क्षतिपूर्ति				**1251238** **~~2605493~~**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹ 12,51,238 ~~26,05,493~~/– आती है। विधि व्यवस्था **National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 – SC) : MANU/SC/0589/2019** के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था **Jai Prakash vs. National Insurance Co. Ltd. and Ors. (17.12.2009 – SC) : MANU/SC/1949/2009** व **M.R. Krishna Murthi vs. The New India Assurance Co. Ltd. and Ors. (05.03.2019 – SC) : MANU/SC/0321/2019** के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि की पंच वर्षीय सावधि जमा से वार्षिकी प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी सं. 1 नितिन अग्रवाल व 2 बालेन्द्र प्रसाद मिश्रा के विरुद्ध संयुक्त एवं प्रथक –प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ 12,51,238 ~~26,05,493~~/– (बारह लाख इक्यावन हजार दो सौ अड़तीस ~~छब्बीस लाख पांच हजार चार सौ तिरानबे~~) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, हेतु आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 1 नितिन अग्रवाल व 2 बालेन्द्र प्रसाद मिश्रा को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनॉक से 60 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 3671000101192489 (IFSC: PUNB0367100) मे RTGS/NEFT के माध्यम से कर दे।

याची संख्या 1,2,3 क्षतिपूर्ति धनराशि व ब्याज का क्रमशः 40,30,30% भाग प्राप्त करेंगे। याचीगण को प्राप्त होने वाली धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा मे 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेशित की जायेगी जिसकी वार्षिकी याचीगण प्राप्त करते रहेगे। शेष नगद धनराशि न्यायाधिकरण के आदेश पर याची के बैंक खाते मे RTGS/NEFT के माध्यम से स्थानांतरित कर दी जायेगी। याची की उक्त निवेशित धनराशि याची की इच्छा पर 5 वर्ष के पश्चात पुनर्निवेशित की जा सकेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 22.07.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर वर्चुअल न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 22.07.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

Calculation error corrected
vide order dated 10.8.2021

PO
MACT, Jhansi
10.08.2021